

व्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

पुनरीक्षण क0-...../15-16



Rs. 20/-

R 5025 पा 116

- 1- भोला प्रसाद पिता भगवानदीन चमार
- 2- गया प्रसाद चमार पिता भगवानदीन चमार दोनो निवासी ग्राम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0.....निगराकारण बनाम
- 1- रामानुज कुशवाहा पिता रघुवर कुशवाहा निवासी ग्राम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0
- 2- म0प्र0राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल मझगवां जिला सतना म0प्र0.....जैरनिगराकार

सन्तान श्रीमान्
१४-५-१६

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक प्रभारी वृत्त मझगवां तहसील मझगवां जिला सतना के प्र०क०-३९ए१२/१४-१५ मे पारित सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक २२/०६/१५ निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म0प्र०भ०रा०सं०

1959

मान्यवर,

निगराकारण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

- 1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कारीगोही प०ह०कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना स्थित आराजी नं०-२४९२५ म0प्र०शासन के नाम दर्ज कागजात रहा है जिसका अंश अंश रकवा निगराकारण के पिता एवं अन्य के पक्ष मे वर्ष १९८२ मे आबंटित किया गया था तथा मौके पर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पठवारी द्वारा नाप कर क्षेत्रफल बताया गया था जिस पर निगराकारण के

(359)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग05025 / II-2016

जिला-सतना

भोला प्रसाद/रामानुज

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सन्तोश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील मङ्गगांव के प्रकरण क्रमांक 39/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p>	

(बी.एम.शामी),
सदस्य